न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :– करतारसिंह पूनियॉ आर.ए.एस.

अपील संख्या 2017/00093(44/2017) 75 एलआरएक्ट

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी जिला हनुमानगढ़– अपीलान्ट

बनाम

1. बख्तावर सिंह पुत्र श्री चनन सिंह जाति जटसिख निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज0)
2. हरपाल कौर पत्नी स्व0 श्री कौर सिंह जाति जटसिख निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज0)
3. बलराज सिंह (फौत) पुत्र स्व0 श्री कौर सिंह जाति जटसिख निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज0)

   3/1 सुखप्रीत कौर पत्नी स्व0 श्री बलराज सिह आयु 48 वर्ष जाति जटसिख निवासी 9 एमएमके किकरवाली संगरिया जिला हनुमानगढ (राज0)

   3/2 हरविन्द्र सिंह पुत्र स्व0 श्री बलराज सिह आयु 25 वर्ष जाति जटसिख निवासी 9 एमएमके किकरवाली संगरिया जिला हनुमानगढ (राज0)

   3/3 निछ कौर पुत्री स्व0 श्री बलराज सिह आयु 18 वर्ष जाति जटसिख निवासी 9 एमएमके किकरवाली संगरिया जिला हनुमानगढ (राज0)
4. चरणजीत कौर पुत्री स्व0 श्री कौर सिंह जाति जटसिख निवासी किकरवाली संगरिया जिला हनुमानगढ (राज0)
5. मनजीत कौर पुत्री स्व0 श्री कौर सिंह जाति जटसिख निवासी किकरवाली संगरिया जिला हनुमानगढ (राज0)
6. सुखजीत कौर पुत्री स्व0 श्री कौर सिंह जाति जटसिख निवासी किकरवाली संगरिया जिला हनुमानगढ (राज0)
7. गणेशा सिंह पुत्र श्री सोहन सिंह स्व0 श्री कौर सिंह जाति जटसिख निवासी किकरवाली संगरिया जिला हनुमानगढ (राज0)
8. बुडसिंह पुत्र श्री सोहन सिंह जाति जटसिख निवासी किकरवाली संगरिया जिला हनुमानगढ (राज0)

—— रेस्पोडैन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Karrar Singh Poonia
Date: 2021.09.06 14:47:34 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

विरूद्व निर्णय उपखण्डाधिकारी, संगरिया, दिनांक 15.04.2011

प्रकरण संख्या 07/2011 बअनवानी प्रार्थना–पत्र बख्तावरसिंह वगैरा बनाम स्टेट

श्री रविन्द्र गोदारा, राजकीय अधिवक्ता अपीलाण्ट की ओर से ।

श्री प्रद्युमनसिंह परमार अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट 1 ता 6

निर्णय दिनांक – 17.08.21

1. इस प्रकरण में तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी/रेस्पोडेण्ट ने उपखण्ड अधिकारी, संगरिया के समक्ष कस्टोडियन रकबे की सनद् जारी करने बाबत शीर्षक से प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करते हुए चक 9 एमएमके की 1.265 है0 भूमि राजस्व रिकार्ड में मूल आवंटी गणेशासिंह, बुड़ सिंह पिसरान सोहनसिंह जाति रायसिख के नाम से अंकित है, को जरिये बैयनामा क्रय करना बताते हुए करते हुए खातेदारी सनद जारी करने का निवेदन किया।
2. प्रकरण को आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष रखा एवं आवंटन सलाहकार समिति की की अभिशंषा पर अपीलाधीन आदेश के द्वारा राजस्व रिकार्ड में क्रेता के नाम खातेदारी दर्ज करने के आदेश दिये है, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।
3. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
4. विद्वान राजकीय अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपील मीमो एवं प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम के बिन्दुओं के दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेण्ट ने अधिनस्थ न्यायालय में प्रश्नगत भूमि को नियमन करवाये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत कर भूमि को मूल आवंटी से खरीद करना बताया है परन्तु भूमि से सम्बन्धित आवंटन आदेश ही अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे मूल आवंटी द्वारा भूमि का बेचान किया जाना सिद्व नहीं था इसलिए प्रश्नगत भूमि का किसी सूरत में नियमन नहीं किया जा सकता था आदेश इसी आधार पर काबिल निरस्ती है। मूल आवंटी द्वारा आवंटन की यदि कोई राशि बकाया थी तो वह खजाना राज जमा करवाई गई या नहीं इस तथ्य की कोई रिपोर्ट पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं हुई ना ही मूल आवंटन पत्रावली ही तलब की गई है। प्रश्नगत भूमि पर कब्जा काश्त बाबत स्पष्ट साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुऐ थे एवं विक्रय विलेख भी सिद्व नहीं था जिससे भूमि का हस्तान्तरण सिद्व नहीं था इन तथ्यों पर किसी प्रकार का कोई विचार ना कर अपीलाधीन निर्णय रेस्पोडन्ट के हक में गलत ढंग से नियमन किया गया है। विद्वान

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Karlar Singh Poonia
Date: 2021.09.06 14:47:34 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

अधिवक्ता ने मियाद बिन्दु पर कथन किया कि माननीय जिला कलक्टर कार्यालय से विधि परीक्षण के बाद पत्र प्राप्त होने पर अपीलाधीन निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने पर राजकीय अधिवक्ता से राय कर अपील प्रस्तुत की गई है। अपील ज्ञान से अंदर मियाद है। डिले कन्डोन की जाकर अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया जितनी राशि बनती थी, उसका चालान जमा करवा दिया है। मार्केट रेट की 25 प्रतिशत राशि राज्य सरकार ने अपनी अधिसूचना क्रमांक एफ9 (79)रेव–6/2011/32/जी. एस.आर.सो. दिसम्बर 01, 2011 द्वारा समाप्त कर दी गई है। कोई बकाया नहीं है। तर्क दिया कि विज्ञप्ति आपत्ति हेतु प्रकाशित है किन्तु निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। स्वत्व एवं कब्जे के बारे में अर्थात हक एवं कब्जा काश्त के बारे में कोई विवाद नहीं है। किसी ने आपत्ति इसी कारण प्रस्तुत नहीं की। आवंटी एवं उसकी वारिसान से प्रश्नगत रकबा खरीद किया गया है। आवंटन आदेश प्रश्नगत नहीं था अपितु आवंटन से जमाबन्दी में दर्ज भूमि नियम 5 (क) के अनुसार शास्ति जमा होने पर नियमन की जानी थी।

6. आवंटन जमाबंदी से स्पष्ट एवं प्रकट था। ऐसी स्थिति में आवंटन पत्रावली तलब करना प्रश्नगत नहीं था क्यों कि आवंटन चुनौतीग्रस्त नहीं था अपितु भूमि पर हमारा कब्जा बतौर क्रेता होने उसका नियमन किया जाना था। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि एल. आर. एक्ट अनुसार जमाबन्दी के इन्द्राज की सत्य की अवधारणा की जावेगी जब तक कि उसे विपरीत सिद्ध न कर दिया जावे। अपील के स्तर पर इन्होंने आवंटन नहीं होने के तथ्य को सिद्ध नहीं किया। ऐसी स्थिति में आवंटन पत्रावली तलब करने की आवश्यकता नहीं थी क्यों कि आवंटन आदेश को चुनौती नहीं दी थी। आवंटन आदेश प्रश्नगत नहीं था अपितु आवंटन से जमाबन्दी में दर्ज भूमि की राशि जमा होने पर सनद जारी की जानी थी। प्रश्नगत भूमि पर हमारा ही कब्जा काश्त है।

7. विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 9 (79) रेव–6/2011 1 जी.एस.आर. 177 जनवरी 03, 2012 के अनुसार आवंटी और अन्तरिती दोनों का आवेदन आवश्यक नहीं है। अपितु आवंटी अथवा अन्तरिति का आवेदन पर्याप्त है अर्थात दोनों में से किसी एक का आवेदन पर्याप्त है ऐसी स्थिति में आवंटी को तलब करने की आवश्यकता नहीं है क्यों

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Karnar Singh Poonia
Date: 2021.09.06 14:47:34 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

कि अपीलाधीन आदेश की इन्होंने कोई अपील नहीं की है। इन्हें कोई व्यथा होती तो ये अपील करते।

8. अपील देरी से प्रस्तुत करने का कोई समुचित पर्याप्त विश्वसनीय कारण स्पष्ट अंकित नहीं किया है। नियमन कमेटी में रखकर कमेटी की राय से हुआ है। कमेटी का तहसीलदार सदस्य है। जिनके हस्ताक्षर कमेटी की बैठक में नियमन सिफारिश के साथ अंकित है। कमेटी में सरपंच सदस्य है जो कि कब्जे की एवं काश्त की तथा विक्रय होने की स्थानीय जानकारी रखते है। सरपंच जनप्रतिनिधि होते है। इस कारण उनकी उपस्थिति में हुआ निर्णय केवल अधिकारियों की सिफारिश के आधार पर हुआ निर्णय नहीं कहा जा सकता है। जनप्रतिनिधि स्वतंत्र रूप से राय रखने और निर्णय लेने हेतु स्वतंत्र रहते हैं। विचारण न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि सम्मत है अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

9. पत्रावली का अवलोकन किया एवम् विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया।

10. पत्रावली का गुणावगुण पर निस्तारण होना अधिक श्रेयष्कर होना दृष्टिगत रख मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र सशप होने तथा उसका खण्डन प्रस्तुत नहीं होना दृष्टिगत रख न्यायहित में डिले कन्डोन की जाकर अपील अपीलाण्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

11. जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है मुताबिक जमाबन्दी संवत 2066 से 69 चक 9 एमएमके की 0.265 है0 भूमि राजस्व रिकार्ड में गणेशासिंह, बुडसिह पि0 सोहनसिंह, गुरदेव कौर पुत्रीयां सोहन सिंह के नाम गैर खातेदार के नाम से दर्ज है। इससे स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि मूल अलॉटी के नाम दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेण्ट द्वारा बैयनामा दिनांक 17.7.1975 के आधार पर नियमन का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया था। तहसीलदार ने प्रश्नगत भूमि पर रेस्पो0 का कब्जा काश्त होना बताया है तथा साथ ही अपीलाण्ट ने ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया जिससे साबित हो कि सीलिंग सीमा से प्रभावित हो।

12. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 06.10.09 को निष्कांत (कस्टोडियन) कृषि भूमि के निस्तारण एवं पूर्व आवंटियों को खातेदारी अधिकार प्रदान करने हेतु नियमों के संबंध मे परिपत्र जारी किया गया था। उक्त परिपत्र के अनुसार ऐसे प्रकरण जिनमे मूल आवंटियों ने खातेदारी अधिकार प्राप्त होने से पूर्व ही भूमि का बेचान

Signature Not Verified
Digitally signed by Karrar Singh Poonia
Date: 2021.09.06 14:47:34 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

औपचारिक/अनौपचारिक तरीके से किसी अन्य को कर दिया है और मौका पर मूल आवंटी के बजाय अन्य व्यक्ति काबिज है, तो ऐसे हस्तान्तरण को उपखण्ड अधिकारी द्वारा आवंटन सलाहकार समिति से सलाह करके नियमन शुल्क एवं शास्ति नियमानुसार जमा करवाने के पश्चात हस्तान्तरण का नियमन किये जाने का प्रावधान किया गया है।

13. हस्तगत प्रकरण मे रेस्पो0 द्वारा रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 17.07.75 से बख्तावरसिंह, कौरसिंह पि0 चनणसिंह जाति जटसिख सा0 मारजण्ड बैय की हुई जिसकी प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध है जो हस्तान्तरण का औपचारिक दस्तावेज है। प्रकरण मे तहसीलदार द्वारा नियमन की सिफारिस की गई है तथा तहसीलदार आवंटन सलाहकार समिति का सदस्य है। नियमन की राशि नियमानुसार जमा करवाई गई है। ऐसी स्थिति राज्य सरकार के परिपत्र के प्रावधानो की पालना करते हुए खातेदारी प्रदान की गई है। अभिभाषक अपीलांट द्वारा कोई विपरीत तथ्य अपील के समर्थन मे प्रस्तुत नही किया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजों से अपीलांट की अभिकथनो की पुष्टि नही होती है। आक्षेपित निर्णय को अपीलांट विधि विरूद्ध साबित करने मे असफल रहा है। अपीलांट द्वारा यह अपील सारहीन होने के कारण स्वीकार की जानी योग्य नही है। यदि उक्त भूमि के बाबत कोई राजकीय राशि बकाया निकलती है, तो रेस्पोडेंट राजकोष में जमा करवाने के लिए पाबंद रहेगें।

14. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15.04.2011 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

15. निर्णय आज दिनांक 17.8.21 .....को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया ।

17/8/21

(करतार सिंह पूनियॉ)
आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Karrar Singh Poonia
Date: 2021.09.06 14:47:34 IST
Reason: SelfAttested